न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पे0अपील/एलआर/6170/2002/भरतपुर

गजरी पुत्र लायकराम निवासी बाबेन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
अपीलार्थी

बनाम

1 फूली पुत्र भोला (फोत) जरिये वारिसान
1/1 मुन्नीलाल पुत्र फूली जाति लौधा
2 पातरिया पुत्र भोला
3 तोता पुत्र भोला
4 लीलाधर पुत्र भोला जाति लोधा सभी निवासी बाबेन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः श्री जे.पी.माथुर वकील अपीलार्थी
श्री ओ.एल.दवे वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.22.6.2018

यह स्पेशल अपील धारा 10राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की विद्वान एकल पीठ द्वारा निगरानी संख्या 1/2001 में पारित निर्णय दिनांक 8.10.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर दिनांक 29.10.93 को एक तरफा समरी प्रोसीडिंग्स कराके आदेश प्राप्त कर लिया है जबकि विवादित आराजीयात के संबंध में वाद विचाराधीन हैं। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 29.12.2000 से

उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध प्रार्थी अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 1/2001 जिला भरतपुर प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल की माननीय एकल पीठ ने निर्णय दिनांक 8.10.2002 से उक्त निगरानी खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह स्पेशल अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय में यह माना है कि राजस्व मण्डल में विचाराधीन द्वितीय अपील के निर्णय के अनुसार राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के संबंध में निर्णय होगा जिससे निगरानी को खारिज किया है। माननीय एकल पीठ का निर्णय विरोधाभाषी है। निगरानी खारिज किये जाने से इसका असर खण्ड पीठ द्वारा अपील में दिये जाने वाले निर्णय पर भी होगा। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने अपीलार्थी अभिलेखीय खातेदार काश्तकार है, को नोटिस दिये बिना ही आदेश दिनांक 29.10.93 पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जिससे नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये। विचारण न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से मयाद का प्रश्न महत्व नहीं रखता है एवं जानकारी दिनांक से नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत किया गया है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते समरी प्रोसीडिंग्स द्वारा अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता। अतः स्पेशल अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन हैं जहां विवाद का अन्तिम निस्तारण होना है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के अनुसार खारिज किया गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.93 के विरूद्ध अपील भी प्रस्तुत कर दी एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया। दो कार्यवाही एक साथ की जाने से नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो न्यायोचित है। माननीय एकल पीठ ने भी निगरानी निरस्त करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है एवं दो कार्यवाही एक साथ नहीं चलाई जा सकती माना है। अतः स्पेशल अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2000 में यह माना है कि प्रार्थी आलौच्य आदेश

के विरूद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील पेश कर चुका है। अपील दिनांक 9.4.99 को निर्णीत भी हो चुकी है। प्रार्थी अपील एवं रिव्यु दोनों का लाभ नहीं ले सकता। प्रार्थी ने अपील के अधिकार का उपयोग कर लिया है जिससे रिव्यु मेन्टेनेबिल नहीं है। माननीय एकल पीठ ने निगरानी संख्या 1/2001 निर्णय दिनांक 8.10.2002 मे भी समवर्ती निर्णय पारित करते हुए निगरानी खारिज की है।

यह स्पष्ट है कि पक्षकार जहां किसी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपील के अधिकार का उपयोग कर चुका हो, वहां उसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबिल नहीं है क्योंकि एक ही आदेश के विरूद्ध दो प्रोसीडिंग्स अपील होने पर रिव्यु नहीं चल सकती हैं। यह स्पष्ट हैकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.10.93 के विरूद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर चुका था तथा अपील का निर्णय भी दिनांक 9.4.99 को चुका था तो उसी आदेश दिनांक 29.10.93 के विरूद्ध प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। निगरानी में माननीय एकल पीठ ने यह भी निर्धारित किया है कि इस आराजी के संबधं में राजस्व मण्डल में चल रही द्वितीय अपीलों में विवाद का निस्तारण होगा। ऐसी स्थिति में हम एकल पीठ के आलौच्य निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलार्थी राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील में चाराजोही करें।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पेशल अपील खारिज की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य